



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 450] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 1991/अग्रहायण 14, 1913
No. 450] NEW DELHI. THURSDAY, DECEMBER 5, 1991/AGRAHAYANA 14, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1991

सा. का. नि. 725 (अ) :—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38)
की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठिन धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रकृत गतिविधियों का
प्रयोग करते हुए, कंडला पत्तन न्याय मंडल द्वारा बनाए गए और इन अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची
में कंडला पत्तन न्याय कर्मचारी (स्थीर अधिम) संगोष्ठन विनियम, 1991 का अनुमोदन किया है :

2. उक्त विनियम इस शसिसूचना के मात्कारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी.आर.-12015/8/91—पी. ई.]

प्रशोक जीपी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कंडला पोर्ट कर्मचारियों (स्थोद्धार अधिनियम) संशोधन विनियम, 1991

महा पत्तन ग्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंडला पोर्ट का ग्यासो मंडप कंडला पोर्ट कर्मचारियों (स्थोद्धार अधिनियम) विनियम 1978 को मागे संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

1. ये विनियम कंडला पोर्ट कर्मचारियों (स्थोद्धार अधिनियम) संशोधन विनियम 1991 कहे जायेंगे।
2. ये, इन विनियमों से संबंधित सरकारी अनुमोदन के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से लागू होंगे।
3. कंडला पोर्ट कर्मचारियों (स्थोद्धार अधिनियम) विनियम 1978 का विनियम 3, उप विनियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
“3 लागू होने की सीमा . (1) जैना कि इन विनियमों में उपबंधित है, यह अधिनियम तृतीय श्रेणी अधिकाः चतुर्थ श्रेणी पद अधिकाः उम पद के समस्तुल्य पदधारी सभी कर्मचारियों (कार्य प्रभागिक तथा ए प्रभाग के तटीय श्रमिकों सहित) के शिक्त जाएगा।
4. विनियम 3, उप विनियम 2 (ii) की वृद्धते हुए विद्यमान उप विनियम (iii), (iv) तथा (v) को क्रमशः उप विनियम (ii), (iii) तथा (iv) के रूप में पुनः श्रोकित किया जायेगा।
5. विनियम 6 (1) में शब्द ‘चार सौ रुपये’ को शब्द ‘छः सौ रुपये’ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

सचिव

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 1991

G.S.R. 725(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act,

1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (Festival Advance) (Amendment) Regulations, 1991 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12015/8/91-PE.1]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

Kandla Port Employees (Festival Advance) Amendment Regulations, 1991.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the MPT Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following Regulations further to amend the Kandla Port Employees (Festival Advance) Regulations, 1976 namely :—

1. These regulations shall be called the Kandla Port Employees (Festival Advance) Amendment Regulations, 1991.
2. These shall come into force from the date of publication of the Government's approval to these regulations.
3. Regulation 3, sub-regulation (1) of the Kandla Port Employees (Festival Advance) Regulations, 1976 shall be substituted by the following :—
 3. Extent of applications.
 - (1) As provided under these regulations, the advance shall be granted to all employees (including work-charged and 'A' category shore labour) hold Class-III or Class-IV post or equivalent to that post."
4. Regulation 3, sub-regulation 2(ii) shall be deleted and the existing sub-regulations (iii), (iv) and (v) shall be re-numbered as sub-regulations (ii), (iii) and (iv) respectively.
5. In regulation 6(1) the words "four hundred rupees" shall be substituted by the words "Six hundred only".

Secretary
Kandla Port Trust

